सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

7 DEC 1982

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Missing Issues 42, 45, 47

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 2, 1982 (आश्विन 10, 1904)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 2, 1982 (ASVINA 10, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	641
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1327
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1313
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	2189
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	3313
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)-भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	305
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	323
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	13617
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	565
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	211
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2493
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	225
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolution and Nos. Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	641
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1327
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1313
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	
PART II SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	2189
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	3313

	P
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	30
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	3
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the* Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	13617
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	565
PART III.—SECTION—3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	211
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	249
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	225
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

* Folio No. not received.

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1982

संख्या 42-प्रेज/82—राष्ट्रपति सहर्ष यह निदेश देते हैं कि राष्ट्रपति का पुलिस पदक तथा पुलिस पदक को शासित करने के नियमों में, जिन्हें दिनांक 10 मार्च, 1951 के भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में, समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 1 मार्च, 1951 की अधिसूचना सं. 4-प्रेज/51 के तहत प्रकाशित किया गया था, तत्काल प्रभावी रूप से, निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

राष्ट्रपति का पुलिस पदक

नियम (5) के मौजूदा उप-नियम (ई) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"इस शौर्य पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्ताओं को उनके रैंक का विचार किए बिना समान दर पर आर्थिक-भत्ता पाने का हक होगा। पदक के लिए आर्थिक भत्ते की दर नब्बे रुपये प्रति माह और पदक की बार के लिए यह दर साठ रुपये प्रति माह होगी।"

पुलिस पदक

नियम (5) के मौजूदा उप-नियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"जब पदक शौर्य के लिए प्रदान किया जाता है तो, शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार, इसके साथ, प्राप्तकर्ता को उसके रैंक का विचार किए बिना, पदक के लिए साठ रुपये प्रति माह का आर्थिक भत्ता तथा पदक की बार के लिए तीस रुपये प्रति माह का आर्थिक भत्ता दिया जाएगा। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के प्राप्तकर्ताओं के बारे में इनका अधिभार संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के राजस्व से वहन किया जाएगा और केंद्रिय पुलिस/संघ शासित क्षेत्रों के राजस्व से वहन किया जाएगा और केन्द्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों के प्राप्तकर्ताओं के बारे में यह अधिभार संबंधित संगठनों द्वारा वहन किया जाएगा।"

मु. नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

पर्यावरण विभाग

नई दिल्ली-110011 दिनांक 18 अगस्त, 1982

संकल्प

विषय : दून घाटी तथा गंगा और यमुना के निकटवर्ती जल विभाजक क्षेत्रों के लिये बोर्ड का गठन।

सं० 2/19/81एच०सी०टी०/इन्वा०—विकासात्मक संवेष्टन (पैकेज) का अध्ययन और समीक्षा करने के लिये और न्यूनतम पर्यावरणीय अपकर्ष से सतत विकास प्राप्त करने के लिये पर्यावरणीय प्रबन्ध हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुझाव देने के लिए इस विभाग के दिनांक 4 अगस्त, 1981 के संकल्प संख्या 2/19/81 एच० सी०टी०/इन्व० द्वारा दून घाटी और गंगा तथा यमुना के निकटवर्ती जल विभाजक क्षेत्रों के लिए गठित बोर्ड की अवधि को 3 फरवरी, 1982 से एक वर्ष की अगली अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है :—

2. बोर्ड की संशोधित रचना निम्नलिखित होगी :—

(1) श्री सी०पी०एन० सिंह, पर्यावरण राज्य मंत्री	अध्यक्ष
(2) प्रो० एम०जी० के० मेनन, सदस्य, योजना आयोग	सदस्य
(3) श्री बल्देव सिंह आर्य, परिवहन तथा पर्वत विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(4) श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत, संसद सदस्य, 52—54, नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली	सदस्य
(5) श्री बी०बी० वोहरा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति	सदस्य
(6) श्री आर० पी० खोसला, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय, लखनऊ	सदस्य

(7) श्री अरुण सिंह
30, फिरोशा रोड सी०—1
प्रथम तल, नई दिल्ली — सदस्य

(8) श्री गुरुदयाल सिंह
99, सेक्टर 8—ए, चण्डीगढ़ — सदस्य

(9) डा० त्रिलोकी नाथ खुशू,
सचिव,
पर्यावरण विभाग — सदस्य

(10) श्री एन० डी० बेचखेती,
वन महा निरीक्षक
कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली — सदस्य

(11) प्रो० रंजीत सिंह
उद्यान-विज्ञान प्रभाग,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
पूसा रोड, नई दिल्ली — सदस्य

(12) श्री एन० डी० जयाल
संयुक्त सचिव,
पर्यावरण विभाग — सदस्य

(13) डा० एस० मुदगल,
निदेशक,
पर्यावरण विभाग — सदस्य-सचिव

3. अध्यक्ष को यह प्राधिकार होगा कि वह जब कभी जरूरी समझे, अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं ।

4. गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा/दैनिक भत्तों का भुगतान, जो नियमानुसार देय होगा, पर्यावरण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

5. बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(क) इस क्षेत्र में प्रस्तावित विकासात्मक परियोजनाओं के संवेष्टन (पैकेज) की समीक्षा करना तथा पर्यावरणीय प्रबन्ध हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्यवस्था करना ताकि क्षेत्रीय संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जा सके ;

(ख) पर्यावरण के और अधिक अपघटन को रोकने के लिए और/अथवा पर्यावरण में सुधार करने के लिए न्यूनकारी/सुधारात्मक उपायों का निष्पादन करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र का विकास करना ।

6. बोर्ड का कार्यकाल अब 3 फरवरी, 1983 तक होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति दून घाटी और गंगा और यमुना के निकटवर्ती जल-विभाजक क्षेत्रों के बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सभी सदस्यों को प्रेषित की जाय । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

त्रिलोकी नाथ खुशू, सचिव

(ऊर्जा मंत्रालय)

विद्युत विभाग

नई दिल्ली दिनांक 2 सितम्बर 1982

संकल्प

सं० 6/4/82-ट्रान्स—राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० (एन०टी०पी०सी०) देश में विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्रों का निर्माण कर रहा है । चूंकि पश्चिम क्षेत्रीय बिजली बोर्ड (प० क्षे० वि० बो०) में विद्युत प्रणाली के प्रचालन से संबंधित अनेक मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं अतः बोर्ड के कार्यकलापों में घनिष्ठ समन्वय बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को उपर्युक्त बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया गया है ।

2. तदनुसार, पश्चिम क्षेत्रीय बिजली बोर्ड की स्थापना से संबंधित तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० ई०एल० 11-35 (2)/63, दिनांक 28 मार्च, 1964 के पैरा 2 में जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है उसमें आगे संशोधन करके बोर्ड का पुनर्गठन इस प्रकार किया जायेगा :—

1. अध्यक्ष, गुजरात बिजली बोर्ड ।
2. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ।
3. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ।
4. सचिव, उद्योग खनन और विद्युत विभाग, गुजरात सरकार ।
5. सचिव, सिंचाई एवं बिजली विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ।
6. सचिव, उद्योग एवं श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार
7. मुख्य इंजीनियर सिंचाई एवं विद्युत विभाग, महाराष्ट्र सरकार ।
8. मुख्य विद्युत इंजीनियर, गोवा, दमन और दीव ।
9. कलेक्टर, दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन ।
10. निदेशक (पी०पी०ई०डी०) परमाणु ऊर्जा विभाग ।
11. कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ।
12. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधि ।
13. सदस्य-सचिव, पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ।

3. उपर्युक्त क्रम संख्या में (1) से (3) तक उल्लिखित के सदस्य प्रत्येक बारी बारी से एक वर्ष की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प राज्य सरकारों तथा गुजरात मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के बिजली बोर्डों, गोवा, दमन और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० परमाणु ऊर्जा विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों,

प्रधान मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सूचित कर दिया जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

सं० 6/4/82 ट्रान्स—राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० (रा० ता०वि०नि०) देश में विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्रों का निर्माण कर रहा है। चूंकि दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्डों की (द० क्षे० वि० बो०) को विद्युत प्रणाली के प्रचालन से संबंधित अनेक मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं अत : बोर्ड के कार्यकलापों में घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को उपर्युक्त बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिए जाने का निर्णय किया गया है ।

2. तदनुसार दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के स्थापना संबंधी भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल० II–35 (1)/63 दिनांक 7 फरवरी, 1964 के पैरा 2 में जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, उसमें आगे संशोधन करके बोर्ड का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाएगा ।

1. अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश, राज्य बिजली बोर्ड ।
2. अध्यक्ष, कर्नाटक बिजली बोर्ड ।
3. अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड,
4. अध्यक्ष तमिलनाडु बिजली बोर्ड ।
5. मुख्य सचिव, पाण्डिचेरी सरकार ।
6. कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ।
7. निदेशक (पी०पी० ई०डी०) परमाणु ऊर्जा विभाग ।
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नेवेली, लिग्नाइट, कारपोरेशन लिमिटेड ।
9. प्रबन्ध निदेशक मैसूर विद्युत निगम लिमिटेड
10. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि
11. सदस्य सचिव दक्षिणी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ।

ऊपर (1) से (4) में बताये गए सदस्य वर्णानुक्रम में बारी बारी से एक वर्ष के लिये दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० परमाणु ऊर्जा विभाग, नेवेली लिग्नाइट निगम लि० मैसूर विद्युत निगम लि० केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सूचित कर दिया जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

एस० रमेश, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 24th September 1982

No. 42-Pres./82.—The President is pleased to direct that with immediate effect, the following amendments shall be made in the rules governing the award of the President's Police Medal and the Police Medal published in Part I, Section 1 of the Gazette of India of 10th March, 1951, under Notification No. 4-Pres./51, dated the 1st March, 1951, as amended from time to time :—

PRESIDENT'S POLICE MEDAL

For the existing sub-rule (c) of Rule (5), *substitute* the following :

"All the recipients of this gallantry award shall be entitled to the monetary allowance on a uniform rate, irrespective of their ranks. The rate of Monetary allowance for the Medal shall be Rupees Ninety per mensem and for the Bar to the Medal it shall be Rupees sixty per mensem."

POLICE MEDAL

For the existing sub-rule (a) of Rule (5), *substitute* the following :

"When awarded for gallantry the Medal shall, subject to the conditions set forth for the President's Police Medal for gallantry, carry a monetary allowance on a uniform rate of Rupees sixty per mensem and for the Bar to the Medal Rupees thirty per mensem irrespective of the rank of the recipient. The charges thereof, shall be borne by the revenues of the State/Union Territories concerned in respect of the recipients belonging to the State/Union Territories and by the concerned Central Police/Security Organisations in respect of the recipients belonging to these organisations."

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

New Delhi, the 18th August 1982

RESOLUTION

Sub. :—Constitution of a Board for Doon Valley and Adjacent Watershed areas of Ganga and Yamuna.

No. 2/19/81-HCT/Env.—It has been decided to extend the term of the Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna to study and review the developmental package and suggest guidelines for environmental management for achieving sustained development with minimal environmental degradation constituted *vide* this Department's Resolution No. 2/19/81-HCT/Env. dated the 4th August, 1981 for a further period of ONE YEAR with effect from 3rd February, 1982.

The following shall be the revised composition of the Board :

Chairman

(1) Shri C. P. N. Singh,
Minister of State for Environment

Members

(2) Prof. M. G. K. Menon,
Member, Planning Commission

(3) Shri Baldev Singh Arya,
Minister for Transport and
Hill Development,
Uttar Pradesh.

(4) Shri Harish Chandra Singh Rawat,
Member of Parliament,
52-54, North Avenue, New Delhi.

(5) Shri B. B. Vohra,
Chairman,
National Committee on
Environmental Planning.

(6) Shri R. P. Khosla,
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Secretariat, Lucknow.

(7) Shri Arun Singh,
30, Firozeshah Road—C-1,
Diwan Shree Apartments, Ist Floor,
New Delhi.

(8) Shri Gurdial Singh,
99, Sector 8-A, Chandigarh.

(9) Dr. T. N. Khoshoo,
Secretary,
Department of Environment.

(10) Shri N. D. Bachkheti,
Inspector General of Forests,
Ministry of Agriculture,
Krishi Bhavan, New Delhi.

(11) Prof. Ranjit Singh,
Horticulture Division,
Indian Agricultural Research Institute,
Pusa Road,
New Delhi.

(12) Shri N. D. Jayal,
Joint Secretary,
Department of Environment.

Member/Secretary

(13) Dr. S. Maudgal,
Director,
Department of Environment.

3. The Chairman will have the authority to coopt other Members as and when necessary.

4. TA/DA, as per rules admissible, would be met by the Department of Environment for non-official members.

5. The terms of reference of the Board will be :—

(a) Review of the package of proposed developmental projects in this region and provide guidelines for environmental management so as to optimally utilise the regional resources;

(b) Evolve an effective implementation mechanism for executing mitigative/ameliorative measures for checking further environmental degradation and/or improving the environment.

6. The term of the Board shall now be upto 3rd February, 1983.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all other members of the Board for Doon Valley and Adjacent Watershed Areas of Ganga and Yamuna.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. N. KHOSHOO, Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 2nd September 1982

RESOLUTION

No. 6/4/82-Trans.—The National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) has been constructing electric power generating stations in the country. It has therefore been decided to give representation to NTPC on the Western Regional Electricity Board (WREB) for achieving close coordination in the activities of the Board which to take vital decisions on several issues relating to power system operations.

2. Accordingly, para 2 of the then Ministry of Irrigation and Power Resolution No. EL-II-35(2)/63, dated the 28th March, 1964, establishing the Western Regional Electricity Board, as amended from time to time, shall be further amended and the Board reconstituted as follows :—

(i) The Chairman, Gujarat Electricity Board.

(ii) The Chairman, Madhya Pradesh Electricity Board.

(iii) The Chairman, Maharashtra State Electricity Board.

(iv) The Secretary to the Government of Gujarat, Industries, Mines and Power Department.

(v) The Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Irrigation and Electricity Department.

(vi) The Secretary to the Government of Maharashtra, Industries & Labour Department.

(vii) The Chief Engineer, Irrigation & Power Department, Government of Maharashtra.

(viii) The Chief Electrical Engineer of Goa, Daman and Diu.

(ix) The Collector, Dadra & Nagar Haveli Administration.

(x) The Director (PPED), Department of Atomic Energy.

(xi) The Executive Director (Operations), National Thermal Power Corporation Limited.

(xii) A representative of Central Electricity Authority.

(xiii) The Member-Secretary, Western Regional Electricity Board.

3. The Members from (i) to (iii) above shall be the Chairman of the Western Regional Electricity Board for a period of one year each by rotation.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments and State Electricity Boards of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra, the Union Territory Administrations of Goa, Daman and Diu and Dadra & Nagar Haveli, the National Thermal Power Corporation Limited, the Department of Atomic Energy, the Central Electricity Authority, the Western Regional Electricity Borad, all Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 6/4/82-Trans.—The National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) has been constructing electric power generating stations in the country. It has therefore been decided to give representation to National Thermal Power Corporation Limited on the Southern Regional Electricity Board (SREB). To achieving close coordination in the activities of the Board which has to take vital decisions on several issues relating to power system operations.

2. Accordingly, para 2 of the erstwhile Irrigation and Power Ministry's Resolution No. ELII-35(1)/63 dated 7th February, 1964 establishing the Southern Regional Electricity Board, as amended from time to time, shall be further amended and the Board reconstituted as follows :—

(i) The Chairman, Andhra Pradesh State Electricity Board.

(ii) The Chairman, Karnataka Electricity Board.

(iii) The Chairman, Kerala State Electricity Board.

(iv) The Chairman, Tamil Nadu Electricity Board.

(v) The Chief Secretary, Government of Pondicherry.

(vi) The Executive Director (Operations), National Thermal Power Corporation Limited.

(vii) Director (PPED), Department of Atomic Energy.

(viii) The Chairman & Managing Director, Neyveli Lignite Corporation Limited.

(ix) The Managing Director, Mysore Power Corporation Limited.

(x) A representative of Central Electricity Authority.

(xi) The Member-Secretary, Southern Regional Electricity Board.

The Members from (i) to (iv) above shall be the Chairman of the Southern Regional Electricity Board by rotation in the alphabetical order every year.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments and State Electricity Boards of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the Union Territory Administration of Pondicherry, the National Thermal Power Corporation Limited, the Department of Atomic Energy, Neyveli Lignite Corporation Limited, Mysore Power Corporation Limited, Central Electricity Authority, Southern Regional Electricity Board, all Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller & Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. RAMESH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982